

कार्यालय प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुलतानपुर


पत्रांक-ASMC/महिला उत्पीड़न/कमेटी/2023-24/1012-6 दिनांक-05/10/2023

महिला उत्पीड़न कमेटी

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पत्रांक-एम0ई0-1/2023/3556 दिनांक-29/09/2023 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुलतानपुर में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रम सं०	चिकित्साधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	डा० आस्था त्रिपाठी	चिकित्साधिकारी महिला चिकित्सालय	9935684500
2	श्रीमती मूर्ता देवी	सिस्टर पुरुष चिकित्सालय	8429276173
3	श्रीमती ऊषा वर्मा	सिस्टर महिला चिकित्सालय	9415845609
4	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	काउन्सलर एस०टी०डी० क्लीनिक	9454365220
5	श्रीमती सुनैना देवी	एल०टी० ट्रामासेंटर सुलतानपुर	6387813773
6	डा० अनुराधा द्विवेदी	विश्व गायत्री मिशन	9918124000


अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुपालनार्थ वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे उच्चाधिकारियों को ससमय अवगत कराया जा सकें।


प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुलतानपुर

पत्रांक-ASMC/महिला उत्पीड़न/कमेटी/2023-24/1012-6 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (पुरुष/महिला) सुलतानपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की प्रति।


प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुलतानपुर